रुक्टा (रा.)
राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
Rajasthan University and College Teachers' Association-R
(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)
केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004
प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)
website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org
RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

दिनांक: 29.1.2017

पत्रांक : रुरा/ 33579-614

सेवामें,

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय :- आगामी लोकसभा चुनाव में महाविद्यालय प्राध्यापकों की ड्यूटी सेक्टर अधिकारी के रूप में नहीं लगाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आगामी महीनों में देश में लोकसभा चुनाव सम्पन्न होने हैं। राजस्थान के महाविद्यालय प्राध्यापक हमेशा राष्ट्रीय कार्य में अपना दायित्व निष्ठा पूर्वक निभाते रहे हैं। पिछली बार से चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव संचालन की प्रक्रिया में परिवर्धन कर सेक्टर अधिकारियों की व्यापक स्तर पर नियुक्ति करना तय किया है। ये सेक्टर अधिकारी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से ही मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक अपने सेक्टर में कार्य करेंगे। यह अवधि दो माह से अधिक हो सकती है। इस संबंध में आपका ध्यान निम्न तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूँ -

1. राजस्थान में इस अवधि में विश्वविद्यालय परीक्षा सम्पन्न होनी हैं। अधिकांश महाविद्यालयों में परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की तुलना में invigilators/परीक्षकों की संख्या बहुत कम है। ऐसी स्थिति में हर वर्ष बाहरी व्यक्तियों को बुलवाकर परीक्षा सम्पन्न करवानी पड़ती है। अतः महाविद्यालय प्राध्यापकों की ड्यूटी यदि लम्बे समय के लिए सेक्टर अधिकारी के रूप में लगाई जाती है तो fair and organised परीक्षा संचालन करवा पाना संभव नहीं लगता है।

2. शिक्षकों को यथासंभव चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने भी निर्देश दिये हैं-

   (a) भारत के चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा writ petition 856/2004 एवं 1357/2004 के संबंध में दिये गए आदेशों की अनुपालना में पत्र क्रमांक 509/251/2004/JS-1 दिनांक 11-10-2004 में निर्देश दिये थे कि -

   "Teachers cannot be assigned any duty in contravention of the direction issued by the election commision of India and violation of ECI directions would be viewed seriously."

   (b) पटना हाई कोर्ट ने writ petition 4168/2009 एवं 4374/2009 के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिये है कि -

   "......as far as possible teachers of schools and universities should be avoided for election duty and they shall be posted only in exceptional circumstances."

रुक्टा (रा.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Rajasthan University and College Teachers' Association-R

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/

दिनांक: ....

(c) सुप्रीम कोर्ट ने civil appeal 5659/2007 के संबंध में टिप्पणी की है कि -

"Education is one of the most important functions of state ....Holding of an election is no doubt of paramount importance but for the said purpose the education of the children cannot be neglected...........The human rights conventions have imposed a duty on the contracting states to set up institutions of higher education which would lead to the conclusion that the citizens thereof should be afforded an effective right to access to them."

3. मैंने पूर्व में भी आपको पत्र क्रमांक रुरा/33637-672 दि० 24-09-2013 द्वारा राज्य के विधानसभा चुनाव में महाविद्यालय प्राध्यापकों की ड्यूटी लगाने में कतिपय जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनाव आयोग एवं राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के उल्लंघन करने के संबंध में ध्यान दिलाया था। किन्तु अत्यन्त खेद से निवेदन करना पड़ रहा है कि कई जिलों में non-teacher government officers का समग्र database नहीं बनाया गया, 70 प्रतिशत तक महाविद्यालय शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। इसका परिणाम इस शैक्षिक सत्र पर पड़ा और विद्यार्थियों को अपूरणीय क्षति हुई।

इन सब तथ्यों के मद्देनजर आपसे आग्रह है कि विद्यार्थियों एवं शिक्षा के व्यापक हित में राज्य के महाविद्यालय प्राध्यापकों की ड्यूटी लम्बे समय तक सेक्टर अधिकारी के रूप में नहीं लगाने के आदेश प्रसारित करने की कृपा करें।

साभार

भवदीय

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)

पत्र व्यवहार का पता : 'आधार', 20, चित्रकूट कॉलोनी, माकड़वाली रोड, अजमेर-305004 (राज.)